

फार्म संख्या 8(1)
पेंशन भोगी द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु प्रमाण-पत्र
(अनुच्छेद 17 देखा जाए)

1-जीवित होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पेंशन भोगी श्री.....धारक
पी०पी०ओ० संख्या.....जो राज्य सरकार के सिविल/शिक्षा/मिलेट्री/ मिलेट्री
सिविलियन/रेलवे के पेंशनर बैंक.....खाता संख्या.....से पेंशन आहरित
कर रहे हैं/ रही हैं को स्वयं देखा है और यह कि वह आज की तारीख में जीवित है |

स्थान.....
दिनांक.....

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर.....
नाम.....

मुहर.....